

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार जहर सिंह
पिता - रतु सिंह को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख
में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के सुपु जहर सिंह
द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम समसरा खाता नं० २९१
रकबा - १.३७२० वर्ष X का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई
के दौरान जहर सिंह ने अपना लिखित ज्ञान दिया है कि उनके
पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य सही दस्तावेज नहीं हैं।
है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त
है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में
उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार
दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया
है कि विषयगत भूमि ग्राम समसरा खाता न० २९१ प्लॉट न०
सर्वे खतियान में किस्म खेत दर्ज है जो
सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा०
दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है
नियमितकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त
तथ्यों से स्पष्ट है कि जहर सिंह पिता - रतु सिंह
ग्राम - समसरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान
पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>समसरा</u>	<u>67</u>	<u>291</u>	-	<u>१.३७२०</u>

अतः विभागीय पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं
भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में उक्त
जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,

बोलबा

अंचल अधिकारी,

बोलबा